पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 12 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 22–10–2020

दिनांक 21/22–10–2020 को रात्रि थाना गोमतीनगर विस्तार 01, गाजीपुर 01, विकासनगर 02, आशियाना 04, पीजीआई 01, कृष्णानगर 01, काकोरी, 02 अभियुक्त गिरफ्तार। **इस प्रकार वांछित में कुल 12 अभियुक्त गिरफ्तार।**

डी0सी0पी0 उत्तरी

सट्टा पर्ची द्वारा सट्टा खेलते समय गिरफ्तार।

थाना हसनगंज:–दिनांक 21–10–2020 को एस0आई0 श्री संजय सिंह थाना हसनगंज लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01–बन्टी पुत्र स्व0 अब्दुल अजीज निवासी 473/25 मदेयंगज थाना हसनगंज लखनऊ द्वारा हारजीत की बाजी लगाकर सट्टा पर्ची द्वारा सट्टा खेलते व खेलवाते समय सार्वजनिक स्थान बिग बी मॉल के पास हसनगंज गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 04 अदद सट्टा पर्ची व 480/– रूपया बरामद कर थाना हसनगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही।

थाना विकासनगर:–दिनांक 21–10–2020 को श्री ऋषिदेव सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना विकासनगर लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01–कुलवन्त सिंह उर्फ राजू पुत्र बलवन्त सिंह निवासी फतेगंज थाना गदरपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड 02–रेशम सिंह उर्फ राजू पुत्र ठाकुर सिंह निवासी सिन्धीझाला ग्राम गौठा थाना सितारगंज जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड 03–नानक सिंह उर्फ नानू पुत्र सरन सिंह निवासी ग्राम अमरौला ग्रीन सिटी कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद 04–मोहित शर्मा पुत्र स्व सुरेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम उदवारा चौकी बरखा थाना खैर जनपद अलीगढ़ मूलपता–ग्राम किनौनी थाना सरूरपुर जिला मेरठ के विरूद्ध थाना विकासनगर पर यूपी गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

डी0सी0पी0 पूर्वी।

यूपी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही।

थाना गोमतीनगरः–दिनांक 21–10–2020 को श्री धीरज कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना गोमतीनगर लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01–विजय यादव उर्फ बॉबी पुत्र सुन्दरलाल निवासी विकासखण्ड–5 ग्वारी गॉव थाना गोमतीनगर लखनऊ 02–विनोद रावत पुत्र बैजनाथ निवासी विकासखण्ड–4 थाना गोमतीनगर लखनऊ के विरूद्व थाना गोमतीनगर पर गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

भा0द0वि0

चिनहटः–दिनांक 22–10–2020 को थाना चिनहट द्वारा बताया गया कि वादिनी नैन्सी मौर्या पुत्री श्री राकेश मौर्या निवासी धांवा स्टेट थाना चिनहट लखनऊ ने थाना चिनहट पर सूचना दिया कि दिनांक 21–10–2020 की रात्रि को समय करीब 11.30 बजे वादिनी के घर आकाश यादव, अमित यादव, उनकी मां कौशल्या देवी और उनकी बहू ज्योति यादव और कुछ अन्य अपरिचित लोग आये, और वादिनी के पूछने पर वादिनी को मारने लगे, और तोड़फोड मचाया, फोन को तोड दिया व गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। इस सूचना पर थाना चिनहट पर मु0अ0सं0 692/2020 धारा 147/323/504/506/427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। **जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री सुर्दशन सिंह मो0नं0 7839860985 द्वारा की जा रही है।**